भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2242

23 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: सहकारी सोसाइटियों का कार्यकरण

2242. श्रीमती मौसम नूर:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में सहकारी सोसाइटियों की पहुंच को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी विकास निधि की स्थापना करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने बहु राज्यीय सहकारी सोसाइटी और राज्य के भीतर कार्य करने वाली सहकारी सोसाइटियों से संव्यवहार करने के संबंध में इस नवसृजित मंत्रालय की शक्तियों, क्षेत्राधिकार, भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र इस संबंध में किस प्रकार कार्य करेगा?

<u>उत्तर</u>

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) एवं (ख)**:** अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) एवं (घ): राज्य के भीतर कार्यरत सहकारी समितियां संबंधित राज्य सरकार के कानूनों द्वारा शासित होती हैं और एक से अधिक राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियां केंद्रीय कानून अर्थात् 'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' द्वारा शासित होती हैं।

बहु-राज्य सहकारी समितियों से के संबंध में इस मंत्रालय के अधिदेश को मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 6 जुलाई, 2021 की अधिसूचना में निम्नानुसार बताया गया है: -

'बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के प्रशासन सहित एक राज्य तक सीमित न होने वाली सहकारी समितियों का निगमन, विनियमन और समापन,

बशर्ते कि इसके नियंत्रण में कार्यरत सहकारी इकाइयों के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग 'केंद्र सरकार' होगा।

*****